



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

visit us: www.prsu.ac.in

E-Mail: rsuexam@gmail.com

क्र. 1727 / परीक्षा / शोध / 2023

रायपुर, दिनांक 04/08/2023

// अधिसूचना //

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में आयोजित होने वाले निम्नलिखित विषयों के पीएच.डी. (Ph.D) प्रवेश परीक्षाओं हेतु सत्र 2023-24 के लिए समय-सारणी (Time Table) घोषित की जा रही है। जिसमें परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु समय-सारणी विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.prsu.ac.in में उपलब्ध है, जहाँ से अवलोकन एवं प्रिन्ट किया जा सकता है। तदनुक्रम में पीएच.डी प्रवेश परीक्षा की तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

तिथि एवं दिन	समय	विषय
17/08/2023 गुरुवार	प्रातः 11.00 बजे से 01.00 बजे तक	अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, रक्षा अध्ययन, विधि मैनेजमेंट, वाणिज्य, सांख्यिकी, भूविज्ञान, फार्मसी, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, संस्कृत, हिन्दी, भाषाविज्ञान, कम्प्यूटर साइंस, भूगोल, मानवविज्ञान, बायोटैक्नालॉजी, वनस्पति-शास्त्र, रसायन, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, भौतिकी, बायोसाइंस, बायोकेमेस्ट्री, माइक्रो-बायोलॉजी, प्राणीशास्त्र, इलेक्ट्रानिक्स, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, गणित, क्षेत्रीय अध्ययन

पीएच.डी प्रवेश परीक्षा 2023-24 हेतु पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कला भवन को परीक्षा केन्द्र घोषित किया जाता है।


टीप-

- महाविद्यालयीन शोध केन्द्र प्रमुख कृपया प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन फार्म नीचे दिये गए प्रारूप में सूचीबद्ध कर विषयवार परीक्षा विभाग में दिनांक 07/08/2023 तक अनिवार्यतः उपलब्ध करावें एवं प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त आवेदकों के फार्म न भेजे।

क्र.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	वर्ग	स्नातकोत्तर

- प्रवेश परीक्षा के आवेदक परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र संबंधित अध्ययनशाला से प्राप्त कर सकेंगे।
- विभागीय शोध समिति, रामस्त शोध निर्देशकों के अधीन शोधार्थियों के प्रवेश के समय छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियम का पालन सुनिश्चित करें। आरक्षित वर्ग की सीट अन्य वर्ग से किसी भी स्थिति में नहीं भरा जाये।
- प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित होने पर शोध कार्य हेतु पंजीयन के लिये विश्वविद्यालय की बाध्यता नहीं होगी। यह शोध निर्देशक के अधीन सीट रिक्त होने तथा आवेदक द्वारा शोध निर्देशक की सहमति प्राप्त करने पर निर्भर होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव